राइफल फ़ैक्टरि इशापुर

परिपत्र

संख्या- 426 दिनांक-12-09-2018

विषय- पेंशन अदालत का आयोजन किया जाना

संदर्भ- 1) **OFB Letter No –307/PEN/Per/Policy, Dtd- 30-07-2018**
2) **MoD F.No -14(1)/2018-D (Coord/DDP), Dtd- 20-07-2018**
3) **DoPPW Secretary D.O No-42/11/2018-P&PW(G), Dtd-10-07-2018**

उपरोक्त सरकारी आदेशों का अनुपालन करते हुए, राइफल फ़ैक्टरी इशापुर दिनांक-18-09-2018 को RFI के अंदर पेंशन अदालत का आयोजन करने जा रही है | यह कार्यक्रम 10 बजे से प्रारम्भ होगा एवं सभी शिकायतों का निपटारा करने के पश्चात समाप्त होगा | कुल 41 shortlisted शिकायतों जो की पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशन से संबन्धित है को पेंशन अदालत मे लिया गया है | उन सभी पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनरों के नाम Annexure-A मे संगलग्न हैं |

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान मे रखते हुए सभी पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनरों जिनका नाम Annexure-A मे परिदर्शित है से अनुरोध है की वे 18-09-2018 को सुबह 9.15 बजे RFI मेन गेट पर बिना किसी विलंब के पहुँच जाएँ। सभी आवस्यक सुरक्षा संबंधी जाँच एवं पंजीकरण के पश्चात उन्हे फ़ैक्टरी के अंदर आने की इजाजत दी जाएगी | सभी 41पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनर अगर चाहें तो अपने साथ एक साथी/पारिवार के एक सदस्य को अपने साथ ला सकते हैं | एसे लोग अपने साथ एक सरकारी पहचान पत्र अवस्य लाएँ, जिससे की उन्हे फ़ैक्टरी के अंदर आने की इजाजत प्रदान की जा सकें | इन सभी 41 लोगों के लिए अलग से पत्र जारी किए जा चुके हैं |

अन्य पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनरों जिनका नाम Annexure-A मे नहीं हैं और वे पहले ही अपनी शिकायतें दर्ज करा चूकें हैं उन्हे पत्र के द्वारा उनके शिकायतें की स्थिति के बारे मे अवगत कराया जा चुका है एवं उनके शिकायतों को पेंशन अदालत हेतु shortlist नहीं किया गया है | अत: वे इस पेंशन अदालत मे न आयें |

सभी 41पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनर एवं उनके साथी/पारिवार के एक सदस्य के अलावा किसी को भी पेंशन अदालत मे आने की इजाजत नहीं दी जाएगी | सख्ती से अनुपालन हेतु सभी से आग्रह है |

श्री ओ पी रावत
अपर महाप्रबंधक एवं सक्षम पदाधिकारी पेंशन,
कृते महाप्रबंधक

प्रति वितरण हेतु –

1) सभी अनुभाग प्रमुख, यूनियन एवं एसोसिएशन के सदस्यगण – सभी संबंधितों मे व्यापक प्रचार हेतु निवेदन किया जाता है |

2) अनुभाग प्रमुख / आई टी सी – आर एफ आई पोर्टल (http://rfi.nic.in) मे इस परिपत्र को अपलोड करने हेतु निवेदन किया जाता है |

3) अनुभाग प्रमुख / सुरक्षा - सभी 41पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनर एवं उनके किसी एक साथी/पारिवार के एक सदस्य को आवश्यक सुरक्षा संबंधी जाँच के पश्चात अनुमति प्रदान हेतु निवेदन किया जाता है |